FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1.District (ज़िला): SOUTH-EAST (DELHI) **Year(वर्ष):** 2025 **P.S.(थाना):** KALANDI KUNJ

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0692 **Date & Time of FIR (व दिनांक की प्रसूप्र):** 28/11/2025

2. Act(s)(अधिनियम): **Section(s)(धारा(एँ)):**

- THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023 325

3. Occurrence of Offence (अपराध की घटना):

(a Day(दिन): FRIDAY **Date From(दिनांक से):** 21/11/2025 **Date To(दिनांक तक):** 21/11/2025

Time Period (समय **Time From (समय से):** 16:30 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई **Date(दिनांक):** 28/11/2025 **Time** 20:05 hrs

(c)General Diary Reference (रोजानामचा **Entry No.(प्रविष्टि** 094A **Date/Time** 28/11/2025 20:18

4. Type of Information (सूचना का Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(a) Direction and Distance from P.S (थाना से दूरी और SOUTH-WEST , 2 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :** 03

(b) Address(पता): A-1/235 ,JJ COLONY ,MADANPUR KHADAR, के सामने गली में

(c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं):

Name of P.S(थाना का नाम): **District(ज़िला):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a Name(नाम): USHA VERMA (D/O) RAJU

(b Date/Year of Birth (जन्म तिथि 1995 **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(c)Passport No.(पासपोर्ट सं.): **Date of Issue (जारी करने की तिथि** **Place of Issue (जारी करने का**

(d Occupation OTHERS

(e Address(पता): H.NO. 1536, GALI NO. 53A, BADARPUR BORDER, SOUTH-EAST, DELHI, INDIA, 8586854228, USHAV8078@GMAIL.COM

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary)(ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात का पुरे विवरण सहित वर्णन

1	NARESH			1. A-1/235,JJ Colony,Madanpur Khadar,KALANDI KUNJ,SOUTH-EAST, DELHI,INDIA	1. A-1/235,JJ Colony,Madanpur Khadar,KALANDI KUNJ,SOUTH-EAST, DELHI,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):

Sl.No. (क्र.सं.) **Property Type(Description)** **Est. Value(Rs.)(मूल्य (रु में))**

10 Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल

11 Inquest Report / U.D. Case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई

District SOUTH-EAST (DELHI) P.S: KALANDI KUNJ Year: 2025 FIR No: 0692 Date: 28/11/2025

12 F.I.R. Contents (attach separate sheet, if required)(प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्य):

सेवा में, थाना प्रभारी कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन G8J9+7F4, Veer Vijay Singh Pathik Marg, D Block, Madanpur Khadar, New Delhi – 110076 28 November 2025 विषय:JJ Colony में सामुदायिक जानवर की क्रूर हत्या करने के खिलाफ शिकायत और उचित कार्रवाई का अनुरोध। आदरणीय मैं आपको यह पत्र Naresh द्वारा पशु संरक्षण कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए, एक सामुदायिक जानवर की हत्या से संबंधित घटना को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं और हम आपसे अपराधियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का अनुरोध करते हैं। 21/11/25 को एक सामुदायिक कुत्ता (काला नर) उस गली में आ गया जहाँ नरेश रहता है (A-1/235, JJ कॉलोनी मदनपुर खुर्द नई दिल्ली 110075, हनुमान मंदिर के पास)। वहाँ उसका नरेश के पालतू कुत्ते से झगडा हो गया (जिसे या तो हमेशा बांधकर रखा जाता है या फिर बिना निगरानी के सड़क पर छोड दिया जाता है)। झगड़े के बाद लगभग शाम 4:30 से 5:00 बजे के बीच, नरेश और एक अज्ञात व्यक्ति ने उस सामुदायिक कुत्ते को डडों से मारा। कुत्ता गिरकर बेहोश हो गया था, फिर भी वे उसे मारते रहे। इस घटना को कई लोगों ने देखा और इसका वीडियो भी बनाया गया। रेस्क्यू के दौरान नरेश ने बाधाएँ भी डाली। कुत्ते को लगभग शाम 6:30-7:00 बजे के बीच बचाया गया और इमरजेंसी इलाज के लिए स्टार वेट्स (D-587, ब्लॉक D. चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली 110019) ले जाया गया, जहाँ उसे रिकॉर्डस के लिए जॉली नाम दिया गया। इसके बाद उसे गुरुग्राम के एक शेल्टर में शिफ्ट किया गया और SJS पेट केयर एंड क्लिनिक (16-GF, पारस ट्रेड सेंटर, ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम - 122003) में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के बावजूद, कुत्ते की 26/11/25 को मृत्यु हो गई। तब से उसका शरीर गुरुग्राम में फ्रीजर में संरक्षित रखा गया है। कुत्ते पर हमले की वीडियो साक्ष्य एक पेनड्राइव में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानवर की हत्या करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध है। किसी भी जानवर को हत्या करना एक घोर और गंभीर अपराध है और भारतीय न्याय संहिता, 2023, की धारा 325 के अंतर्गत दडनीय है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारने, जहर देने या उसके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ पाँच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उक्त घटना उन निवासियों के खिलाफ BNS, 2023 की धारा 3(5) के तहत भी आती है. जिन्होंने एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए सफाईकर्मी को ऐसे निर्देश दिए थे। इसके अलावा, PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) उन कृत्यों को परिभाषित करती है जिन्हें जानवरों के प्रति क्रूर माना जाएगा और जो कानून के तहत दंडनीय है। इस अधिनियम की धारा 11(1)(A) किसी भी जानवर को इस तरह से पीटने, लात मारने, यातना देने या उसके साथ व्यवहार करने पर रोक लगाती है जिससे उसे अनावश्यक दर्द और पीड़ा का एहसास हो। अधिनियम की धारा 11(1)(1) किसी भी जानवर को अंग-भग करने या किसी भी जानवर (सामुदायिक कुत्तों सहित) को मारने के कृत्य को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध बनाती है। इस प्रकार, किसी भी जानवर को प्रताडित करना, मारना या अंग भग करना PCA अधिनियम, 1960 के तहत अपराध है। हम आपका ध्यान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) संख्या 11686/2007 में 'भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड एवं ए. नागराजा' शीर्षक से पारित 7 मई 2014 के फैसले की ओर भी लाना चाहते हैं, जिसमें कोर्ट ने माना है कि PCA अधिनियम, 1960 को लागू करना सरकार का कर्तव्य है और यदि अधिनियम के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और घोषणाओं का उचित और प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और दोषा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारा अनुरोध है कि आप इस मामले पर अत्यंत तत्परता से विचार करें। कृपया उल्लिखित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने और उचित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जरूरी कदम उठाएं। इस प्रकार, उपर्युक्त घटना एक गंभीर अपराध है और BNS 2023 के साथ साथ PCA अधिनियम 1960 के अंतर्गत भी दंडनीय है। इसलिए, उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में हम आपसे BNS की धारा 325 और 3(5), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) (2) और 11(1)(1) के तहत तुरत FIR दर्ज करने का अनुरोध करते करते हैं। हैं। साथ ही, अन्य प्रासंगिक प्रावधानों क अनुरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करते है। हम इस अत्यावश्यक मामले पर शीघ्र प्रतिक्रिया की आशा करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे (8586854228) पर कॉल करके या (ushav8078@gmail.com) पर मेल करके संपर्क कर सकते हैं। SD English Usha Verma Animal Rights Activist Add. H.No. 1536, G.No. 53A, Badarpur Border New Delhi -44, 8586854228 सेवा में श्रीमान Duty officer PS Kalindi Kunj बकार सरकार निवेदन है कि आज Emergency duty के दौरान मन ASI थाना में मौजूद था कि शिकायत कर्ता MS Usha Verma D/o Raju R/o H.No. 1536, Gali No. 53A, Badarpur Border, New Delhi ने एक शिकायत लिखित हिन्दी मन ASI को पेश की। जो शिकायत से अपराध U/s 325 BNS का होना पाया जाता है। तहरीर दरपेश है। मुकदमा दर्ज रजि. करके अग्रिम कार्यवाही हेतु वा हुक्म जनाब SHO साहब आइन्दा तफ्तीश मन ASI के हवाले की जाये। ता. वक्त घटना - Dt. 21/11/25 At 4:30 PM to 5:00 PM. घटना स्थल - H.No. A-1/235, JJ Colony, MP Khader के सामने गली में तहरीर दरपेशगी - 28/11/25 at 08:05 PM SD English ASI Rakesh Singh No. 2961-D, PS Kalindi Kunj, Dt. 28/11/25 कार्यवाही पुलिस - मुझ HC/DO ने जनाब SHO साहब के आदेशानुसार Case FIR No. 692/2025 U/s 325 BNS को Computer Operator से दर्ज CCTNS करके FIR की Copy व असल तहरीर को ASI Rakesh Singh No. 2961-D साहब के हवाले किया गया, जो मुकदमा हजा की उचित कार्यवाही अमल में लायेंगे। अभियोग से संबंधित Documents डाक के द्वारा Senior Officers के

पास में भिजवाये जायेंगे। Written BY HC/DO

13 Action TakenSince the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि किया गया अपराध मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है):

(i) Registered the case and took up the **OR (या)**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया

(ii) Directed (Name of the I.O.)(जांच अधिकारी का नाम RAKESH SINGH **Rank (पद):** ASST. SI (ASSISTANT SUB-INSPECTOR)
No(सं.): 28901648 **to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR**

(iii Refused investigation due to(जांच के **OR (के कारण इंकार किया या)**

(iv) Transferred to P.S(name)(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the free of cost : (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी) :

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.):

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant:
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer

Name(नाम):MANOHAR SINGH
Rank (पद): HC (HEAD CONSTABLE)
No.(सं.): 28080220

15. Date and Time of despatch to the court:
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):